भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1875

जिसका उत्तर गुरुवार, 17 मार्च, 2022 को दिया जाना है

राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना की स्थापना

1875. डा. अमी याज्ञिकः

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि न्यायिक प्रणाली में बुनियादी ढांचे की कमी, प्रशासनिक कर्मचारियों की कमी और न्यायाधीशों की भारी कमी जैसी चुनौतियां हैं;

(ख) यदि हां, तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल संख्या के अनुपात में न्यायालयों में राज्य-वार कितने मामले लम्बित हैं;

(घ) वर्तमान में न्यायाधीशों के कुल रिक्त पदों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम (एनजेआईसी) की स्थापना करने की योजना बना रही है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 28.0 2.2022 तक, देश में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में 20,814 न्यायालय हॉल हैं और 28.02.2022 तक, 24,520 न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या के विरुद्ध 19,350 कार्यरत न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए 18,319 आवासीय इकाइयां उपलब्ध हैं । वर्तमान में, 5,170 न्यायिक अधिकारियों की रिक्तियाँ हैं । सभी न्यायालय हॉलों को न्यायपालिका के स्वामित्व वाले भवनों में स्थानांतरित करने और

न्यायिक अवसरंचना के साथ न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या को बराबर करने का लक्ष्य है, चूंकि उपलब्ध अवसरंचना में केंद्र/राज्यों से पट्टे पर लिए गए न्यायालय हॉल और भाड़े पर लिए गए भवन भी सम्मिलित हैं ।

न्यायपालिका के लिए अवसंरचनाओं के विकास की जिम्मेदारी राज्य सरकारों में निहित होती है । राज्य सरकारों के संसाधनों के संवर्धन के लिए संघ सरकार, जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में अवसंरचनात्मक प्रसुविधा के विकास हेतु विहित किए गए निधि बंटवारा पेटर्न में राज्य सरकारों/ संघ सरकारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करके एक केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है । यह स्कीम वर्ष 1993-94 से कार्यान्वित की जा रही है । इस स्कीम के अंतर्गत न्यायालय भवनों और जिला तथा अधीनस्थ न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय इकाइयों का सन्निर्माण आता है । इसके प्रारम्भ से अब तक, स्कीम के अधीन 8758.71 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है जिसमें से 5,314.40 करोड़ (60.68%) 2014-2015 तक जारी किए गए हैं । 9000 करोड़ रुपए, जिसके अंतर्गत केंद्र का 5307 करोड़ रुपए का अंश भी है, के कुल बजटीय परिव्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक स्कीम का विस्तार किया गया है । न्यायालय हॉलों और आवासीय क्वाटरों के सन्निर्माण के अतिरिक्त, इस स्कीम के अधीन अब जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में शौचालयों, डिजिटल कंप्यूटर कक्षों और वकीलों के हॉलों का सन्निर्माण भी आता है ।

(ग) : न्यायाधीशों की कुल संख्या से वर्तमान में न्यायालयों में लंबित मामलों के अनुपात का राज्य-वार विवरण **उपाबद्ध–1** पर दिया है ।

(घ) : वर्तमान में न्यायाधीशों की कुल रिक्तियों के राज्य-वार ब्यौरे **उपाबद्ध-2** पर दिए हैं ।

(ड.) और (च) : भारत के उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री ने न्यायिक अवसंरचना और न्यायालय सुविधाओं की स्थिति का डाटा संकलित किया है । न्यायालयों के लिए पर्याप्त अवसरंचना की व्यवस्था के लिए भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (एनजेआईएआई) की स्थापना करने के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसके अनुसार एक शासी निकाय होगा जिसके भारत के मुख्य न्यायमूर्ति मुख्य संरक्षक के रुप में होंगे । प्रस्ताव की अन्य मुख्य विशेषताएं यह हैं कि भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण सभी उच्च न्यायालयों के अधीन समान संरचनाओं के अतिरिक्त, भारतीय न्यायालय प्रणाली के लिए कार्यात्मक अवसंरचना ढांचे के लिए योजना, निर्माण, विकास, रख-रखाव और प्रबंधन के लिए रोड़ मैप तैयार करने में

एक केंद्रीय निकाय के रुप में कार्य करेगा । यह प्रस्ताव, विषय पर सुविचारित दृष्टिकोण लेने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रस्ताव की रूपरेखा पर उनके विचार जानने के लिए भेजा गया है,चूंकि वे महत्वपूर्ण पणधारी हैं।

****

उपाबंध-1

राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना की स्थापना के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1875 जिसका उत्तर तारीख 17.03.2022 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(09.03.2022 तक)

क्र.सं.	राज्य और संघ-राज्यक्षेत्र	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृत पद संख्या	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की कार्यरत पद संख्या	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों का कुल लंबन	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों से लंबित मामलों का अनुपात
1	अंदमान और निकोबार	0	13	*	*
2	आंध्र प्रदेश	607	487	805572	1654.15
3	अरुणाचल प्रदेश	41	32	*	*
4	असम	467	436	436061	1000.14
5	बिहार	1954	1389	3391187	2441.46
6	चंडीगढ़	30	30	73262	2442.07
7	छत्तीसगढ	482	407	398480	979.07
8	दादरा और नागर हवेली	3	2	3706	1853.00
9	दमण और दीव	4	4	2902	725.50
10	दिल्ली	884	686	1123292	1637.45
1 1	गोवा	50	40	57603	1440.08
12	गुजरात	1523	1176	1996428	1697.64
13	हरियाणा	772	477	1332388	2793.27
14	हिमाचल प्रदेश	175	162	472766	2918.31
15	जम्मू - कश्मीर	300	240	253828	1057.62
16	झारखंड	675	517	507853	982.31
17	कर्नाटक	1364	1085	2022290	1863.86
18	केरल	569	487	1955155	4014.69
19	लद्दाख	17	9	957	106.33
20	लक्षद्वीप	3	3	*	*
21	मध्य प्रदेश	2021	1550	1916155	1236.23
22	महाराष्ट्र	2190	1940	4949069	2551.07
23	मणिपुर	59	46	12706	276.22
24	मेघालय	97	49	17005	347.04
25	मिजोरम	65	41	6114	149.12
26	नागालैंड	34	24	2763	115.13
27	ओडिशा	977	781	1546864	1980.62
28	पुडुचेरी	26	1 1	34668	3151.64
29	पंजाब	692	606	972103	1604.13
30	राजस्थान	1549	1272	2124411	1670.13
31	सिक्किम	28	20	1920	96.00
32	तमिलनाडु	1319	1080	1411371	1306.83
33	तेलंगाना	474	424	838703	1978.07
34	त्रिपुरा	122	106	36374	343.15
35	उत्तर प्रदेश	3634	2528	10254226	4056.26
36	उत्तराखंड	299	272	320215	1177.26
37	पश्चिमी बंगाल	1014	918	2648005	2884.54

स्रोत:- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) और न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल।

* डाटा एनजेडीजी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं है ।

उपाबंध-2

राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना की स्थापना के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1875 जिसका उत्तर तारीख 17.03.2022 को दिया जाना है के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विविरण ।

(09.03.2022 तक)

क्र.सं.	राज्य और संघ राज्यक्षेत्र	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की कुल स्वीकृत पद संख्या	जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की कुल कार्यरत पद संख्या	जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों की कुल रिक्तियां
1	अंदमान और निकोबार	0	13	-13
2	आंध्र प्रदेश	607	487	120
3	अरुणाचल प्रदेश	41	32	9
4	असम	467	436	31
5	बिहार	1954	1389	565
6	चंडीगढ़	30	30	0
7	छतीसगढ	482	407	75
8	दादरा और नागर हवेली	3	2	1
9	दमण और दीव	4	4	0
10	दिल्ली	884	686	198
1 1	गोवा	50	40	10
12	गूजरात	1523	1176	347
13	हरियाणा	772	477	295
14	हिमाचल प्रदेश	175	162	13
15	जम्मू - कश्मीर	300	240	60
16	झारखंड	675	517	158
17	कर्नाटक	1364	1085	279
18	केरल	569	487	82
19	लद्दाख	17	9	8
20	लक्षद्वीप	3	3	0
21	मध्य प्रदेश	2021	1550	471
22	महाराष्ट्र	2190	1940	250
23	मणिपूर	59	46	13
24	मेघालय	97	49	48
25	मिजोरम	65	41	24
26	नागालैंड	34	24	10
27	ओडिशा	977	781	196
28	पुडुचेरी	26	1 1	15
29	पंजाब	692	606	86
30	राजस्थान	1549	1272	277
31	सिक्किम	28	20	8
32	तमिलनाड़	1319	1080	239
33	तेलंगाना	474	424	50
34	त्रिपूरा	122	106	16
35	उत्तर प्रदेश	3634	2528	1106
36	उत्तराखंड	299	272	27
37	पश्चिमी बंगाल	1014	918	96
कूल		**24520**	**19350**	**5170**

स्रोत:- न्याय विभाग का एमआईएस पोर्टल।

****